बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03/भू0अ0नि0(5)वि0सर्वे0ह0(अररिया)–28/2025..6172.........पटना, दिनांक :– 03/09/2025

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, अररिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त जिला में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत संविदा पर नियोजित **विशेष सर्वेक्षण कानूनगो** अनुचित मांग को लेकर हड़ताल/धरना प्रदर्शन में शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा किया जाना है। इसके अतिरिक्त विभागीय पत्रांक 2786(9A) दिनांक 29.07.2025 द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आमजनों/रैयतों के भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु दिनांक 16.08.2025 से राजस्व महाअभियान संचालित किया गया है, जिसमें इन संविदा नियोजित कर्मियों की भी भूमिका निर्धारित की गयी है।

विदित हो कि उक्त महाअभियान प्रारंभ होने की तिथि से ही नियमावली विरूद्ध मांगों को लेकर योजनाबद्ध तरीके से विशेष सर्वेक्षण जैसे महत्वपूर्ण योजना एवं राजस्व महाअभियान को बाधित करने तथा विभाग की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से हड़ताल/धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।

हड़ताल/धरना प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मियों से निदेशालय द्वारा दिनांक 30.08.2025 को संध्या 05:00 बजे तक कर्त्तव्य पर वापस लौटने की अपील समाचार पत्रों एवं निदेशालय के वेबसाईट के माध्यम से की गयी। कर्त्तव्य पर नहीं लौटने की स्थिति में एक और अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 03.09.2025 के संध्या 05:00 बजे तक संविदा कर्मियों से कर्त्तव्य पर वापस लौटने का पुनः अपील किया गया। इसके बावजूद भी कतिपय संविदा कर्मियों के हड़ताल/धरना प्रदर्शन से वापस नहीं लौटने का प्रतिवेदन बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि संविदा पर नियोजित **विशेष सर्वेक्षण कानूनगो** द्वारा नियोजन से संबंधित विद्यमान नियमावली एवं नियोजन के समय समर्पित Terms of Assignment, जिसकी कंडिका–1(ii) में स्पष्ट रूप से "This is a time bound engagement on contract and the personnel cannot and will not claim for any extension or even permanent employment" एवं कंडिका–5(ii) में भी "At no stage you should claim permanent employment with the government" अंकित है तथा एतद् संबंधी समर्पित शपथ–पत्र का भी स्पष्ट उल्लघंन किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन तथा निदेशालय की अपील के बावजूद भी अपने कर्त्तव्य पर वापस नहीं होने से यह परिलक्षित होता है कि ये कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं एवं इनका आचरण कार्य के प्रति लापरवाही, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, संविदा नियोजन हेतु निर्गत सुसंगत नियमो के विपरीत कार्य करना एवं स्वेच्छाचारिता तथा मनमानेपन का परिचायक है। ऐसे में इनको सेवा में बनाए रखना **कार्यहित एवं राज्यहित** के अनुकूल नहीं है।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) में वर्णित प्रावधान के आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित संलग्न सूची के अनुरूप कुल 01 **विशेष सर्वेक्षण कानूनगो** का संविदा नियोजन आदेश निर्गत की तिथि से समाप्त किया जाता है।

3/9

(जे0 प्रियदर्शिनी)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)वि0सर्वे0ह0(अररिया)–28 / 2025 6172 **पटना, दिनांक** : 03/09/2025

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को सूचनार्थ प्रेषित।

3/9
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)वि0सर्वे0ह0(अररिया)–28 / 2025 6172 **पटना, दिनांक** : 03/09/2025

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/9
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(5)वि0सर्वे0ह0(अररिया)–28 / 2025 6172 **पटना, दिनांक** : 03/09/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

3/9
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

बनदोबस्त कार्यालय, अररिया से दिनांक 03.09.2025 को प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में हड़ताली विशेष सर्वेक्षण कानूनगो की सूची

Sl.No	Emp_Id	EmpName
1	SKN07595	RAJNISH KUMAR

3/9

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना